


रिपोर्ट पटवारी व भूअ०नि०

महोदय जी

आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में पिताका नाम होणादास के नाम बदलीदास कराने हेतु आवेदन किया है काष्ठ हेतु जमानती की प्रिदले वजों की नकल नही लगाई है उक्त मामला धारा 136 के अन्तर्गत R.T.A की धारा 88, 89 के अन्तर्गत आवेदन स्वीकार योग्य है

1.6  
26-10-21

  
I.L.R. जोरवाला

दुकमाराम  
दुकमाराम  
पटवारी व भूअ०नि०  
तह. करेड़ा (भीलवाड़ा)

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी व आंच I.L.R. के अनुसार प्रदीर्घाण का पत्रिका में अरदास रामचन्द्र दास पिता बद्रीदास वर्मा हेतु प्रदीर्घाण द्वारा अपन पिताका नाम राजरजूर काउ में घोषणा करे है। राजरजूर रिकार्ड में घोषणा के बजाय बद्रीदास के नामा चाहते है। जो सम्भव नही है। सहायक नायब तहसीलदार करेड़ा शहर प्राप्त कइना उचित है

::आदेश::

26/10/21  
तहसीलदार(भूअ.)करेड़ा  
जिला-भीलवाड़ा

पत्रिका पेश है। रिपोर्ट तहसीलदार करेड़ा व राजार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रारूप खरीज किया जा रहा है साथ ही डिपॉजिट भी जारी है कि सक्षम न्यायालय में वाउ दायर कर राहत प्रदान करे।

प्रभारी अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

